ARYAVART SHODH VIKAS PATRIKA
RNI TITLED NO. UPBIL04292
RNI REG. NO. UPBIL/2014/66218
PP. No.- 325-329
ISSN NO.-2347-2944 (Print)
e-ISSN NO.-2582-2454 (Online)
Vol.-16, No.- IV, Issues-30, YEAR- Oct.-Dec.-2023

भारत के आर्थिक विकास में सूक्ष्म लघु एवं मध्यम का योगदान

डॉ0 आसिम अली

अर्थशास्त्र विभाग, इंटीग्रल डिग्री कॉलेज, सैफनी, रामपुर (उ0प्र0) भारत

Received-18.12.2023, Revised-23.12.2023, Accepted-29.12.2023 E-mail: dr.asimali786@gmail.com

सारांशः ***सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम को भले ही अधिनियम 2006 के अन्तर्गत परिभाषित किया गया हो, लेकिन यह उद्यम भारत का अति प्राचिन उद्यम है जो भारतीय अर्थव्यवस्था के अनुकूल है। यह उद्यम कम पूँजी से अधिक लोगों को रोजगार उपलब्ध कराने में संक्षम है। सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम से वर्ष 2015–16 में 1109.89 लाख रोजगार प्राप्त हुआ तथा कुल निर्यात में लगभग 50 प्रतिशत योगदान भी इसी उद्यम का रहा है। भारत के आर्थिक विकास के लिए यह उद्यम और भी अधिक महत्वपूर्ण होता जा रहा है क्योंकि अब देश तेजी से समावेशी विकास की ओर बढ़ रहा है। अतः वर्तमान एवं भविष्य की संभावनाओं को देखते हुए यह उद्यम देश के विनिर्माण, उत्पादन, रोजगार एवं निर्यात में महत्वपूर्ण योगदान दे रहा है।***

कुंजीभूत शब्द– अर्थव्यवस्था, अनुकूल, एमएसएमई, असमानता, रोजगार एवं विकास, समावेशी विकास, उद्यम बेरा।

मनुष्य आदिकाल से उद्यम से जुड़ा है। अगर यह कहा जाए कि सभ्य होने से पूर्व भी मानव उद्यमिय था, तो इसमें कोई अतिष्योक्ति नहीं होगी। भले ही उस समय का उद्यम नितान्त अविकसित अवस्था में था। मनुष्य अपने इसी उद्यमिय स्वभाव के कारण ही वह लकड़ी एवं पत्थर के अस्त–शस्त्र का निर्माण करने से ले कर आज वह वायुयान और रॉकेट बनाने में सफल हुआ है इस प्रकार वर्तमान समय औद्योगिक युग है। जो किसी भी देश के आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण योगदान देता है। सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम को आंग्लभाषा में Micro, Small and Medium Enterprises (MSME) एमएसएमई कहते हैं। एमएसएमई स्थानीय स्तर पर किये जाने वाला उद्यम है। यह उद्यम कम पूँजी से कम जगह में आसानी से संचालित किया जा सकता है। भारत के सन्दर्भ में देख जाय तों यह श्रम की अधिकता है और पूँजी की कमी है। यह उद्यम कम पूँजी से अधिक लोगों को रोजगार उपलब्ध कराने में सक्षम है। यह आर्थिक असमानता एवं वर्ग–संघर्ष को कम करने, गाँवों से शहरों की तरफ हो रहे पलायन को रोकने तथा गरीबी एवं बेरोजगारी रोकने में अहम भूमिक निभाती हैं। यह ग्रामीण रोजगार का आधार भी है। इस प्रकार सूक्ष्म, लघु तथा मध्यम उद्यम भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ मानी जाती है क्योंकि देश के विकास में इस उद्यम की असीम संभावनाएं देखी जाती है।

वैश्वीकरण की चुनौतियों को पूरा करने के लिए सरकार ने सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम को परिभाषित किया है और देश में 'सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विकास अधिनियम 2006' लायी है। जिसका उद्देश्य इन उद्यमों के विकास को सुविधाजनक बनाना है। इस अधिनियम के अन्तर्गत सरकार ने उद्यमों को मोटे तौर पर दो भागों में वर्गीकृत किया है। पहला विनिर्माण उद्यम (Menufacturing Enterprise) इसमें वस्तुओं का उत्पादन करने वालें उद्यमों को सम्मिलित किया गया है और दूसरा सेवा उद्यम (Service Enterprise) इनमें सेवाएँ प्रदान करने वाले उद्यमों को सम्मिलित किया जाता है। प्लांट एवं मशीनरी में निवेश सीमा के आधार पर इनको तीन–तीन श्रेणियों में वर्गी.त किया गया है जिसको निम्न तालिका द्वारा प्रदर्शित किया गया है।

तालिका संख्या 1.1

प्लांट एवं मषीनरी में निवेष की सीमा के आधार पर एमएसएमई का वर्गीकरण

सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विकास अधिनियम 2006 के अन्तर्गत उद्यम की परिभा ा			
क्षेत्र	सूक्ष्म उद्यम	लघु उद्यम	मध्यम उद्यम
विनिर्माण उद्यम	25 लाख रुपये तक निये ।	25 लाख रुपये से अधिक और 5 करोड़ रुपये से कम का निये ।	5 करोड़ रुपये से अधिक और 10 करोड़ रुपये से कम का निये ।
सेवा उद्यम	10 लाख रुपये तक निये ।	10 लाख रुपये से अधिक और 2 करोड़ रुपये से कम का निये ।	2 करोड़ रुपये से अधिक और 5 करोड़ रुपये से कम का निये ।

केन्द्र सरकार में 7 अपैल, 2018 को सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम की नई परिभाषा दिया है जिसे तत्कालिन प्रधानमंत्री के अध्यक्षता वाली कैबिनेट कमेटी की बैठक में अंतिम रूप से पास किया गया। अब परिवर्तन के बाद विनिर्माण एवं सेवा उद्यमों में ''प्लांट और मशीनरी'' में निवेश की जगह ''टर्नओवर'' के आधार पर वर्गीकरण किया गया है।

सूक्ष्म उद्यम– जिन विनिर्माण एवं सेवा उद्यम में वार्षिक टर्न ओवर रु. 5 करोड़ से कम है, उन्हें सूक्ष्म उद्यम के श्रेणी में रखा गया है।

लघु उद्यम– जिन विनिर्माण एवं सेवा उद्यम में वार्षिक टर्न ओवर रु. 5 करोड़ से 75 करोड़ के बीच होता है उन्हें लघु उद्यम के श्रेणी में रखा गया है।

मध्यम उद्यम– जिन विनिर्माण एवं सेवा उद्यम में वार्षिक टर्न ओवर रु. 75 करोड़ से 250 करोड़ के बीच होता है उन्हें मध्यम उद्यम के श्रेणी में रखा गया है।

पूर्व अध्ययनों की समीक्षा– सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम के योगदान को हम पूर्व अध्ययनों की समीक्षा के अधार पर भी देख सकते है। पूर्व अध्ययनों की समीक्षा के क्रम में विभिन्न आचार्यों द्वारा लिखित पुस्तकों एवं पत्र–पत्रिकों का अवलोकन किया गया है जिसमें

अनुरूपी लेखक/संयुक्त लेखक

ISSN NO.-2347-2944 (Print)
e-ISSN NO.-2582-2454 (Online)
Vol.-16, No.- IV, Issues-30, YEAR- Oct.-Dec.-2023

उद्यम के विकास तथा इससे सम्बधित समस्याओं का गहनता सें अध्ययन किया गया है।

– अरूण प्रकाश द्वारा लिखित पुस्तक (1997), "भारत में लघु उद्योग : विकास एवं संम्भावनाएँ" इस पुस्तक में उन्हों ने बताया है कि लघु उद्योग का संवर्धन एवं विकास करना भारतीय औद्योगिक नीति का एक प्रमुख उद्देश्य रहा है, क्योंकि यह क्षेत्र देश में आर्थिक एवं सामाजिक असमानता को कम करने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। इसलिए भारत सरकार ने इन उद्योगों को सदैव देश के अनुकूल माना है और विकास में इनका उच्च प्राथमिकता भी रही है।

– डॉ. अलोक कुमार रस्तोगी एवं श्री शरण द्वारा लिखित पुस्तक (1997), 'लघु एवं कुटीर उद्योग' है। जिसमें उन्होंने बताया की भारत के लोगों के आय प्राप्त करने का प्रमुख साधन लघु एवं कुटीर उद्योग है। लघु उद्योग में कम पूँजी एवं सीमित संसाधनों से वस्तुओं का उत्पादन होता हैं जो देश के अर्थव्यवस्था के अनुकूल है। लघु उद्योग वृहद् मात्रा में रोजगार उत्पन्न करता है जिससे देश मे व्याप्त गरीबी एवं बेरोजगारी की समस्या का समाधान होता है।

– एम. ए. हसनत द्वारा लिखित पुस्तक (1991), "Role of Nationalised Banks in the Development of Small Scale Industries" इस पुस्तक में इन्हों ने इस बात की चर्चा किया है कि लघु उद्योग कम पूँजी में तुरन्त रोजगार सृजित करते हैं। लेकिन इन उद्योगों की सबसे महत्वपूर्ण समस्या वित्त की है। वित्त के अभाव में स्थानीय संसाधनों का पूर्णरूप से दोहन नहीं हो पाता है। वित्त प्रदान करने में प्रमुख स्रोत व्यापारिक बैंक है। सरकार ने 1969 में 14 बड़े बैंकों का राष्ट्रीकरण किया है। तब से ये बैंक इन उद्योगों को पर्याप्त मात्रा में कम ब्याज दर पर वित्त उपलब्ध कराती है।

– वीना भट्टनागर द्वारा लिखित पुस्तक (1995), "Small Scale Industry: Concept, Status and Policy" है। लघु एवं कुटीर उद्योगों को समय–समय पर विभिन्न प्रकार से परिभाषित किया गया है। इस उद्योगो के महत्व को बताते हुए कहा कि अल्पविकसित देशों में लघु एवं कुटीर उद्योगों की प्रमुख समस्याएं कच्चे माल, वित्त, बाजार एवं तकनिकी अभाव की समस्या देखी जाती है। सरकार विभिन्न औद्योगिक नीतियों के माध्यम से इन उद्योगों के समस्याओं का निदान करती है।

– आर. एम. मल्ला (योजना, जुलाई 2009), द्वारा लिखित लेख "सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों का वित्तपोषण मुद्दें एवं चिंतायें", इसमें इन्होंने बताया है कि सरकार ने सन् 2006 में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम को पारित किया था तथा इस उद्योग के विकास पर विशेष ध्यान दिया है और यह स्वीकार किया की सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम देश के विकास को आगे बढ़ाने वाला इंजन है इसकी कभी भी उपेक्षा नहीं की जा सकती है आगे बताया है कि यह उद्योग रोजगार सृजन के लिहाज से कृषि क्षेत्र के तुरन्त बाद आता है।

– राकेश शर्मा (कुरुक्षेत्र, फरवरी 2007), द्वारा लिखित लेख "आर्थिक विकास में लघु उद्योगों की भूमिका" में उन्होंने बताया है कि लघु उद्योगों का देश के उत्पादन, रोजगार एवं निर्यात में महत्वपूर्ण योगदान है। वैश्वीकरण की प्रकिया में लघु उद्योगों के समक्ष चुनौतिया एवं अवसर दोनों ही आए हैं। इसका मुकाबला करने के लिए सरकार, उद्यमियों तथा लघु उद्योग संगठनों को आपस में तालमेल से काम करना होगा। लघु उद्योग नवीनतम तकनीक का उपयोग करें और गला–काट प्रतिस्पर्धा से बचते हुए उच्च स्तर का उत्पादन करें।

– दीक्षित एवं पाण्डें (2011), अपने लेख "भारत में एमएसएमई और आर्थिक विकास : एकीकरण विश्लेषण" है। इन्होंने अपने अध्ययन में पाया की सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों का भारत के आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण योगदान है। इस उद्योग में एक निश्चित मात्रा में निवेश कर अधिक मात्रा में उत्पादन, रोजगार और निर्यात किया जा सकता है। भारत में एमएसएमई इकाइयों की संख्या में भी निरन्तर प्रगति हो रही है।

अध्ययन का उद्देश्य–

– भारत के सकल घरेलू उत्पाद में सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम का योगदान का अध्ययन।
– सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम से देश में रोजगार तथा निर्यात में वृद्धि का अध्ययन।

अध्ययन की परिकल्पना–

– सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम का देश के सकल घरेलू उत्पाद में महत्वपूर्ण योगदान है।
– सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम से देश में रोजगार तथा निर्यात में वृद्धि हुआ है।

अध्ययन विधि– प्रस्तुत अध्ययन में द्वितीयक समंको का प्रयोग किया गया है। द्वितीयक स्रोतों के लिए विषय से सम्बन्धित पुस्तकों, सरकारी रिपोर्ट, आर्थिक समीक्षा, भारतीय रिजर्व बैंक की रिपोर्ट, एमएसएमई की वार्षिक रिपोर्ट, भारतीय अर्थव्यवस्था से सम्बन्धित पुस्तकें एवं पत्र–पत्रिकाएं आदि से संकलन किया गया है।

भारत के आर्थिक विकास में सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों का योगदान– सूक्ष्म एवं लघु उद्योग का नाम अवश्य छोटा है, किन्तु भारत के आर्थिक विकास में सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों का महत्वपूर्ण योगदान है। इन उद्यमों का राष्ट्र की अर्थव्यवस्था में उतना ही महत्वपूर्ण स्थान होता है, जितना कि बड़े उद्यमों का। विकसित राष्ट्र जैसे– ब्रिटेन, अमेरीका रूस एवं जापान आदि ने भी सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों के महत्व को स्वीकार किया हैं और अपने यहा इन उद्यमों के विकास के पर्याप्त अवसर दिया है। सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम बिजनेस संबंधी पहलुओं के माध्यम से उद्यमिता के प्रयासों के विस्तार में महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं। एमएसएमई अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों में अपने कार्यक्षेत्र का विस्तार कर रहे हैं।

ये घरेलू एवं वैश्विक बाजारों की मांग के अनुरूप विभिन्न प्रकार के उत्पादों का उत्पादन करते हैं और सेवाएं प्रदान करते हैं। पिछले कुछ वर्षों के दौरान चालू मूल्यों पर देश के सकल मूल्यवर्धन (जीवीए) तथा सकल घरेलू उत्पादन (जीडीपी) में एमएसएमई क्षेत्र का योगदान निम्न है।

ISSN NO.-2347-2944 (Print)
e-ISSN NO.-2582-2454 (Online)
Vol.-16, No.- IV, Issues-30, YEAR- Oct.-Dec.-2023

तालिका संख्या 1

वर्तमान मूल्य पर देश की अर्थव्यवस्था में एमएसएमई उद्यमों का योगदान

(वर्तमान मूल्य पर एफआईएसआईएम के लिए समायोजित आंकड़े करोड़ रुपये में)

वर्ष	एमएसएमई	कुल जीवीए	जीवीए में एमएसएमई का हिस्सा (प्रतिशत में)	कुल जीडीपी	जीडीपी में एमएसएमई का हिस्सा (प्रतिशत में)
2011–12	2583263	8106946	31.86	8736329	29.57
2012–13	2977623	9202692	32.36	9944013	29.94
2013–14	3343009	10363153	32.26	11233522	29.76
2014–15	3658196	11481794	31.86	12445128	29.39
2015–16	3936788	12458642	31.60	13682035	28.77
2016–17	4502129	13965200	32.24	15391669	29.25
2017–18	5086493	15513122	32.79	17098304	29.75
2018–19	5741765	17139962	33.50	18971237	30.27

स्रोत : एमएसएमई की वार्षिक रिपोर्ट 2017–18 एवं 20–21

उपर्युक्त तालिका से ज्ञात होत है कि वर्ष 2011–12 से 2017–18 तक वर्तमान मूल्यों पर देश के कुल विनिर्माण जीवीए (उत्पादन का सकल मूल्य) में विनिर्माण एमएसएमई का योगदान लगभग 33 प्रतिशत तथा जीडीपी में लगभग 30 प्रतिशत स्थिर रहा है। अतः सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम का देश के सकल घरेलू उत्पाद में महत्वपूर्ण योगदान है।

भारत गरीबी, बेरोजगारी एवं असमानता की समस्या से ग्रसित है, ऐसे में इस समस्यों का हल सिर्फ सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम ही है क्योंकि इन उद्यमों में श्रम प्रधान तकनीकी अपनायी जाती है जिसमें अधिक श्रमिकों की अवश्यक्ता पड़ती है जिससे रोजगार के अवसरों में वृद्धि होती है। लघु उद्यमों के बारे में कहा जाता है कि लघु उद्यम भारत की क्षमता और उनके भावी विकास की कुंजी है। लघु उद्यमों में ही आज की अनेक ज्वलन्त समस्याओं का समाधान निहित है। गांधी जी के अनुसार, "भारत का मोक्ष उसके लघु एवं कुटीर उद्योग धन्धों में निहित है।" इस उद्यमों में लोग व्यतिगत रूप से अपने घरों में रहते हुए वस्तुओं का उत्पादन कर सकते हैं। अतः यह उद्यम पलालन रोकने में भी सक्षम है। भारत के सन्दर्भ में कहां गया है कि भारत एक कृषि प्रधान देश है। यहां की लगभग 58.4 प्रतिशत कार्यशील जनसंख्या कृषि पर निर्भर है। भारतीय कृषि में कृषकों को पूरे वर्ष भर कार्य नहीं मिल पाता है। इस दृष्टिकोण से भी सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम अत्यन्त उपयोगी सिद्ध होते हैं। कृषि व्यवसाय में कार्य करने वाले व्यक्ति खाली समय में इस तरह के उद्योग धन्धों को लगाकर अपनी आय में वृद्धि करते हैं तथा देश के राष्ट्रीय आय में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। इस प्रकार एक विकासशील एवं कृषि आधारित अर्थव्यवस्था वाले देश में लघु उद्यम ग्रामीण अर्थव्यवस्था की अनिश्चिताओं में स्थिरता लाने का प्रयास करती है। विकास के नये आयामों तक पहुँचाने में इन उद्यमों के योगदान को हम पिछले पांच वर्षों में उद्यमों की संख्या, रोजगार एवं निर्यात के आधार पर भी देख सकते हैं।

तालिका संख्या 2

भारत में सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों की संख्या, रोजगार एवं निर्यात में योगदान

वर्ष	उद्यम की संख्या (लाख में)	रोजगार (लाख में)	कुल निर्यात में एमएसएमई का हिस्सा (प्रतिशत में)
2011–12	447.60	1011.69	43
2012–13	467.54	1061.40	43
2013–14	488.46	1114.29	42
2014–15	510.59	1171.32	45
2015–16	633.88	1109.89	50

स्रोत : एमएसएमई की वार्षिक रिपोर्ट 2011–12 से 2015–16

चित्र संख्या 1 व 2

भारत में सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों की संख्या एवं रोजगार में योगदान (प्रतिशत में)

ISSN NO.-2347-2944 (Print)
e-ISSN NO.-2582-2454 (Online)
Vol.-16, No.- IV, Issues-30, YEAR- Oct.-Dec.-2023

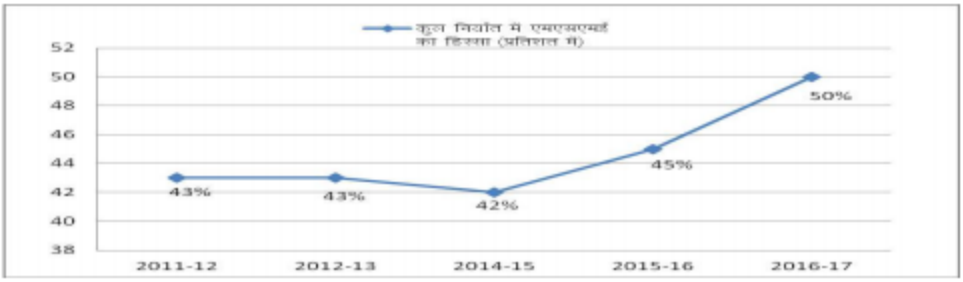

सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम की संख्या, रोजगार एवं निर्यात में योगदान को देखते हुए यह कहां जा सकता है कि भारत के आर्थिक विकास में इन उद्यमों का महत्वपूर्ण योगदान हैं। इन उद्यमों के योगदान को देखते हुए भारत सरकार ने इन्हें बढ़वा देने के लिए कई कार्यक्रम भी संचालित कर रही है। जैसे–

1. सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम 2006.
2. सूक्ष्म और लघु उद्यमों के लिए एक सार्वजनिक प्रापण नीति मार्च, 2012.
3. प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव की अध्यक्षता में सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम संबंधी एक कार्यबल का गठन किया गया है जो इन उद्यमों के मुद्दों का समाधान करती है।
4. सूक्ष्म और लघु उद्यम क्षेत्र के लिए ऋण के वितरण को मजबूती के लिए सरकार ने 5 वर्ष की अवधि में इस क्षेत्र के ऋण प्रवाह को दुगुना करने के लिए अगस्त 2005 में एक नीतिगत पैकेज की घोषाण भी किया है।
5. सरकार ने सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों को रहत उपलब्ध कराने के लिए एक ऋण गारंटी निधि की स्थापना की है।
6. सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों को प्रतिस्पर्धी बनाने के लिए सरकार नें बजट 2007–08 राष्ट्रीय विनिर्माण प्रतिर्स्धा कार्यक्रम आरम्भ किया है।
7. सूक्ष्म और लघु उद्यमों के समग्र एवं एकीकृत विकास के लिए भारत सरकार सूक्ष्म एवं लघु उद्यम क्लस्टर विकास कार्यक्रम चला रही है।
8. सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय सूक्ष्म और लघु उद्यमों के प्रौद्योगिकी उन्नयन के लिए ऋण संबद्ध पूँजी सब्सिडी स्कीम चला रही है। इस स्कीम के तहत सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों को संयंत्र एवं मशीनरी खरीदने के लिए 15 प्रतिशत की सब्सिडी भी देती है।
9. कोविड–19 महामारी के पश्चात केन्द्र सरकार ने तत्परता से राष्ट्र निर्माण में एमएसएमई की भूमिका को मान्यता दी है और बताया है कि आत्मनिर्भर भारत के लिए एमएसएमई का महत्वपूर्ण योगदान ही नहीं है, बल्कि यह अर्थव्यवस्था को पुनर्जीवित करने का कार्य भी करती है तथा संकटग्रस्त एमएसएमई के लिए 20,000 करोड़ रुपये का अधिनस्थ ऋण के रुप में प्रावधान भी किया है।

निष्कर्ष– मनुष्य पहले हाथ से अस्त–शस्त्र एवं वस्तुओं का निर्माण करते थे, लेकिन आज के समय में अधिकतर वस्तुओं का निर्माण मशीनों के द्वारा होने लगा है अतः उद्योग काफी उन्नत स्थिति में पहुँच चुका है। भारत के सन्दर्भ में देखा जाए तो सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम क्षेत्र पिछले 50 वर्षों में भारतीय अर्थव्यवस्था के अत्यधिक जीवंत और गतिशील क्षेत्र के रूप में उभरा है। एमएसएमई न केवल बड़े उद्यम में तुलना में कम पूँजी लागत सें अधिक लोगों को रोजगार उपलब्ध कराने में सक्षम है बल्कि ग्रामीण और पिछड़े क्षेत्रों के औद्योगीकरण में भी मद्द करते हैं, जिससे क्षेत्रीय असन्तुलन को कम करते हुए राष्ट्रीय आय और धन के असमान वितरण को ठीक करने में सहायक होते हैं।

देश के सकल घरेलु उत्पादन (जीडीपी) में एमएसएमई का महत्वपूर्ण योगदान है। वर्ष 2011–12 में जीडीपी में एमएसएमई का हिस्सा 29.57 प्रतिशत था। जो वर्ष 2018–19 में बढ़कर 30.77 प्रतिशत हो गयी है। देश में सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों के संख्या में भी निरन्तर वृद्धि देखी गयी है जिससे रोजगार के स्तर में भी वृद्धि हुई है इस उद्यम सें वर्ष 2011–12 में 1011.67 लाख रोजगार उपलब्ध कराने में सक्षम था वहीं वर्ष 2015–16 में बढ़कर 1109.89 लाख हो गई।

अतः यह उद्यम रोजगार उपलब्ध कराने के दृष्टि कृषि के बाद दूसरा स्थान रखता है। इस उद्यम का देश के सामाजिक–आर्थिक विकास में बहुत बड़ा योगदान है।

वर्ष 2011–12 में देश के कुल निर्यात में इस उद्यम का योगदान लगभग 40 प्रतिशत था जो वर्ष 2015–16 में बढ़कर 50 प्रतिशत हो गया। यह उद्योग राष्ट्रीय आय में अपेक्षाकृत अधिक न्यायपूर्ण वितरण करता है तथा पूंजी एवं अन्य संसाधनों को प्रभावशाली ढंग से गति प्रदान करती है और स्थानीय संसाधनों का सर्वोत्तम ढंग से विदोहन भी करता है। इसके महत्व को स्पष्ट करते हुए योजना आयोग ने अपने रिपोर्ट में कहा है कि यह उद्यम हमारी अर्थव्यवस्था के महत्वपूर्ण अंग हैं जिसकी कभी भी उपेक्षा नहीं की जा सकती है। अतः वर्तमान एवं भविष्य की संभावनाओं को देखते हुए यह निष्कर्ष निकलता है कि इस उद्यम का देश के विनिर्माण, उत्पादन, रोजगार एवं निर्यात में महत्वपूर्ण योगदान है।

संदर्भ ग्रन्थ सूची

1. कुलश्रेष्ठ, रघुबीर, सहाय (2001); 'औद्योगिक अर्थशास्त' भारत में लघु एवं कुटीर उद्योग, साहित्य भवन पब्लिकेशन्स, आगरा।
2. माथुर, रीता (2006); 'औद्योगिक अर्थशास्त'' लघु एवं कुटीर उद्योग', अर्जुन पब्लिशिंग हाऊस, दरियागंज नई दिल्ली।

ISSN NO.-2347-2944 (Print)
e-ISSN NO.-2582-2454 (Online)
Vol.-16, No.- IV, Issues-30, YEAR- Oct.-Dec.-2023

3. त्रिपाठी, मधुसूदन (2007); ''भारत में लघु उद्योग'' राधा पब्लिकेशन्स, अंसारी रोड, दरियागंज, नई दिल्ली।
4. श्री शरण एवं रस्तोगी, आलोक कुमार (1997); 'कुटीर लघु उद्योग' आधुनिक प्रकाशन, मौजपुर (घौन्डा) दिल्ली ।
5. सिंह, सूर्य भान (जनवरी 2005); 'लघु एवं कुटीर उद्योगों की उपयोगिता' कुरूक्षेत्र, सूचना और प्रसारण मंत्रालय भारत सरकार, नई दिल्ली।
6. मल्ला, आर. एम. (नवंबर 2009); 'सूक्षम, लघु और मध्यम उद्यमों का वित्तपोषण मुद्दें एवं चिंतायें', योजन पत्रिका, सूचना और प्रसारण मंत्रालय भारत सरकार, नई दिल्ली।
7. शर्मा, राकेश (फरवरी 2007); 'आर्थिक विकास में लघु उद्योगों की भूमिका', कुरुक्षेत्र, सूचना और प्रसारण मंत्रालय भारत सरकार, नई दिल्ली।
8. शांडिल्य, तपन कुमार (मई 2011); 'बिहार की अर्थव्यवस्था में कुटीर एवं लघु उद्योगों का योगदान', योजन, सूचना और प्रसारण मंत्रालय भारत सरकार, नई दिल्ली ।
9. Hasnat, M. A. (1996); "Role of Nationalised Bank in the Development of Small Scale Industries" Classi cal Publishing Company, New Delhi.
10. Bhatnagra, Veena (1995); "Small Scale Industry: Concept Status and Policy, Published by Kaveri Book, Delhi .
11. Dixit, A. and Pandey, A.K. (2011), 'MSMEs and Economic Growth in India: Cointegration Analysis', The IUP Journal of Financial Economics, Vol. IX, No. 2.
12. Venkatesh, S. and Muthiah, K. (2012), 'SMEs in India: Importance and Contribution', Asian Journal of Management Research, Vol. 2, No. 2.
13. Annual Report on MSME, Government of India, 2011-12 & 2019-20
14. Report of the working group on MSMEs growth in 12th five year plan 2012-17, Government of India.

*****